60

CANCELLED CANCELLED

समक्ष न्यायालय राजस्व मण्डल, ग्वालियर म.प्र.

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /बी–121/2014–15

पुनरीक्षणकर्ता उदय कुमार पिता श्री मूलचन्द, आयु– लगभग 50 वर्ष, निवासी–शास्त्री वार्ड,क.28, पांढुरना,जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.)

12

विरुद्ध

प्रतिवादीगण 1. म.प्र.शासन द्वारा जिलाध्यक्ष, जिला–छिन्दवाड़ा (म.प्र.)

2. अनुविभागीय अधिकारी, पांढुरना, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.)

3. अतिरिक्त तहसीलदार, पांढुरना, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.)

श्री पंकज कुमार रबरे अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षर..... 05 FEB 2016 अधीक्षक कार्यालय कमिश्नर, जबलपुर संभाग

पुनरीक्षण प्रकरण अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.राजस्व संहिता, 1959

पुनरीक्षणकर्ता माननीय महोदय से न्यायहित में निम्न निवेदन करता है :

1. यह कि, पुनरीक्षण प्रकरण जिस आदेश के खिलाफ प्रस्तुत है उसकी जानकारी निम्नानुसार है :–

(क) द्वितीय अपील क्रमांकः 413/बी–121/2014–15

(ख) पारित अंतरिम आदेशः 05.01.2016

(ग) न्यायालय का नामः एडीशनल कमिश्नर, जबलपुर संभाग

(घ) पीठासीन अधिकारी का नाम : श्री रमेश उपाध्याय

उपरोक्त आदेश इस प्रकरण में आगे आलोच्य आदेश कहकर सम्बोधित किया जा रहा है तथा उक्त आदेश की प्रमाणित प्रति इस पुनरीक्षण प्रकरण के साथ **अनेक्चर पी–1** के रुप में सलंग्न है।

NOTARY Name Ramdas Sharma Area Jabalpur Distt. MP Reg.-8.4.94 INDIA

2. यह कि, इस पुनरीक्षण प्रकरण के मुख्य तथ्य निम्नानुसार है :–

R. 799. I/16 (छिंदवाड़ा)

01-3-16	आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता एवं स्थगन के बिंदु पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया । यह प्रकरण अपर आयुक्त द्वारा स्थगन न दिए जाने संबंधी आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है । अपर आयुक्त ने अपने आदेश में प्रकरण ग्राह्य किया गया गया है तथ स्थगन के संबंध में उल्लेख किया गया है प्रकरण में ऐसा कोई तथ्य नहीं दिया गया है कि स्थगन दिए जाने की कोई स्थिति प्रकरण में बनती हो । उक्त स्थिति में उन्होंने आवेदक को स्थगन के बिंदु पर किसी प्रकार का अनुतोश नही दिया है तथा उनका स्थगन आवेदन अमान्य किया गया है स्थगन देना या न देना यह अधीनस्थ न्यायालय का क्षेत्राधिकार है । परिणामतः यह पुनरीक्षण ग्राह्य योग्य न होने से अस्वीकार किया जाता है । सदस्य